शीघ्र नियोजन

HINDI | ENGLISH

यह सहायता पत्र आगे की योजना बनाने के तरीकों पर चर्चा करता है और वित्तीय तथा कानूनी मामलों का प्रबंध करता है और उन लोगों व संस्थाओं की सूची देता है जो सहायता कर सकती हैं।

डिमेंशिया लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। जहाँ कोई व्यक्ति पैसों की संभाल करने या सक्षम व्यापारिक निर्णय लेने की योग्यता को प्रारंभिक अवस्था में खोना शुरू कर सकता है, वहीं किसी दूसरे व्यक्ति में ये योग्यतायें ज्यादा देर तक बनी रह सकती हैं।

किन्तु, कभी ना कभी उनकी योग्यतायों में कमी आएगी तथा डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति अपने वित्तीय तथा कानूनी मामलों के निर्णय स्वयं से लेने में असमर्थ हो जाएगा।

आगे की योजना बनाना

आगे की योजना बनाने से परिजनों एवं देखभाल प्रदातायों के लिए डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति के मामलों का प्रबंधन करना आसान बन सकता है। यह संभव है कि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति योजना बनाने में भाग ले सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनकी इच्छायों को उनके अनुसार पूरा किया जाता है।

जहाँ भी संभव हो, तब परामर्श लें जब डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति विचार-विमर्श में भाग ले सकता हो और किन्हीं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम हो।

धन संबंधी मामले

यदि कोई बैंक खाता संयुक्त नामों पर दर्ज हुआ है, तो डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति का/की सहभागी प्रबंधन में बिना किसी बदलाव के उस खाते का संचालन करना जारी रख सकता/सकती है। परन्तु, यदि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति अनुपयुक्त तरीके से खाते का प्रयोग करता है या खाते केवल उन्हीं के नाम पर हैं, तो समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए, जब तक डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति कानूनी तौर पर सक्षम है, वह किसी दूसरे व्यक्ति को खाते का संचालन करने का अधिकार दे सकता है। यह याद रखना आवश्यक है कि जब डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति कानूनी तौर पर सक्षम नहीं रहेगा तो उस परिस्थिति में पूरा किए जाने पर यह अधिकार अवैध बन जाएगा। यदि वे प्रबंधन के लिए किए गए किसी बदलाव पर सहमति देने के लिए राज़ी नहीं हैं, तो किसी संभावित समाधान के बारे में बैंक मैनेजर से परामर्श करना सहायक हो सकता है।

आगे की योजना बनाने का अर्थ हैः

- सभी वित्तीय खातों पर संयुक्त हस्ताक्षरों का होना
- किसी वित्तीय सलाहकार से भविष्य के वित्तीय मामलों पर विचार-विमर्श करना
- इस बात का प्रबंध करना कि कैसे और कब डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति अपनी पूँजी का उपयोग करेंगे

कौन सहायता कर सकता है?

- बैंक मैनेजर
- मान्यता प्राप्त वित्तीय सलाहकार
- वकील
- एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया

स्थायी मुख्तारनामा

अधिकांश राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में यदि हस्ताक्षर करने के समय व्यक्ति कानूनी तौर पर सक्षम हो, तो वह व्यक्ति स्थायी मुख्तारनामा कहे जाने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता है। स्थायी मुख्तारनामा एक कानूनी प्रबंध है जो कि किसी व्यक्ति के असक्षम हो जाने पर किसी दूसरे नामांकित व्यक्ति को उनके वित्तीय मामलों को सँभालने का अधिकार देता है। बहुत से लोगों ने चाहे उन्हें कोई रोग या रोगनिदान हो या ना हो, स्थायी मुख्तारनामा बना रखा है।

एक आम, या सामान्य मुख्तारनामा भी उपलब्ध है, परन्तु यह तब तक वैध है जब तक व्यक्ति कानूनी रूप से सक्षम है। स्थायी मुख्तारनामे को यदि रद्द ना किया जाए तो यह व्यक्ति की मृत्यु हो जाने तक चालू रहता है।

स्थायी मुख्तारनामा बनाने का एक लाभ यह है कि यह डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति को उस अवधि में कानूनी एवं वित्तीय मामलों में अपनी ओर से कार्यवाही करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चुनने की अनुमति देता है जब वे स्वयं ऐसा करने के योग्य नहीं रहते हैं।

आगे की योजना बनाने का अर्थः

- यह सुनिश्चित करना है कि यदि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति का कोई स्थायी मुख्तारनामा नहीं है, तो उन्हें स्थायी मुख्तारनामा बनाने पर विचार करने का अवसर प्राप्त है। तथा यह अवसर उन्हें उनके रोगनिदान के बाद जितनी जल्दी संभव हो मिले और उस समय में मिले जब वह इस पर विचार करने में सक्षम हों।
- यह सुनिश्चित करना कि परिजनों एवं देखभाल प्रदातायों के पास भी उनका खुद का स्थायी मुख्तारनामा हो ताकि यह पक्का हो जाए कि उनके असमर्थ होने की स्थिति में भी उनके कार्यो का अच्छे ढंग से प्रबंधन किया जाता है
- स्थायी मुख्तारनामें की एक प्रति का अपने पास होना तथा इस बात की जानकारी रखना कि उसे कहाँ रखा जाता है

यह सहायता पत्र ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त-पोषित है

कौन सहायता कर सकता है?

- वकील
- कानूनी समिति या संस्था, लीगल ऐड (कानूनी सहायता)
- सरकारी वकील या सरकारी संरक्षक
- एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया

वसीयतनामे

वसीयत यह निर्देश देती है कि मृत व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करना चाहिए।

वसीयत तभी वैध है जब व्यक्ति इसके निहितार्थ व आशय को समझता है, इसलिए यह जरूरी है कि यदि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति अपनी वसीयत बनाना चाहता है या उसमें सुधार करना चाहता है, तो वह ऐसा उस अवधि के दौरान कर पाए जब वह हस्ताक्षर करने में सक्षम हो।

आगे की योजना बनाने का अर्थ हैः

- सामयिक वसीयत का होना
- यह जानकारी रखना कि निर्वाहक कौन है और वसीयत कहाँ रखी जाती है

कौन सहायता कर सकता है?

- वकील
- कानूनी समिति या संस्था, लीगल ऐड (कानूनी सहायता)
- एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया

चिकित्सीय ईलाज के बारे में निर्णय

यदि आप अपने चिकित्सीय ईलाज करवाने के बारे में निर्णय लेने की कानूनी क्षमता खो देते हैं तो किसी दूसरे को आपके लिए निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। अधिकतर राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में आप इन निर्णयों को लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसपर आप भरोसा करते हैं। अगर आपने पहले से ही इसका आयोजन नहीं किया हुआ है तो हर राज्य एवं राज्य क्षेत्र का कानून एक विशेष न्यायालय को यह अनुमति देता है कि वे किसी व्यक्ति को आपकी ओर से निर्णय लेने के लिए नियुक्त करे।

चिकित्सीय ईलाज के बारे में निर्णय लेने के लिए आगे की योजना बनाने में सहायक दो प्रकार के साधन उपलब्ध हैंः

- स्थायी मुख्तारनामा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी मामले शामिल होते हैं, यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति देता है जो आपके स्थान पर आपके लिए चिकित्सीय निर्णय ले सकता है
- अग्रिम निर्देश जो कि चिकित्सीय ईलाज के बारे में आपकी इच्छायों को व्यक्त करता हुआ एक लिखित दस्तावेज है

कुछ राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में अलग अलग नाम प्रयोग किए जा सकते हैं, परन्तु इस दस्तावेज का प्रयोग लगभग एक समान ही है।

आगे की योजना बनाने का अर्थः

- यह सुनिश्चित करना है कि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति को स्थायी मुख्तारनामा बनाने का अवसर प्राप्त हो और उसमें स्वास्थ्य संबंधित मामले या अग्रिम निर्देश शामिल हो
- दस्तावेज की एक प्रति आपके पास हो, तथा यह जानकारी रखना कि इसे कहाँ रखा गया है

कौन सहायता कर सकता है?

- वकील
- कानूनी समिति या संस्था, लीगल ऐड (कानूनी सहायता)
- सरकारी वकील या सरकारी संरक्षक
- एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया

संरक्षण एवं संचालन

अधिकांश राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में संरक्षण बोर्ड या ट्रिब्यूनल होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संरक्षक या संचालक की नियुक्ति कर सकता है जो अपने निर्णय खुद लेने के योग्य नहीं है। यदि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति के मामलों को निपटाने में समस्याएँ हैं, या व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों के प्रति कोई विरोध है, तो संरक्षक या संचालक की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया से इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिए संपर्क किया जा सकता है कि क्या संरक्षक या संचालक को नियुक्त करने के लिए आवेदन की आवश्यकता है, और इसके लिए क्या करना चाहिए।

अधिक जानकारी

Alzheimer's Australia सहायता, सूचना, शिक्षा तथा सलाह प्रदान करता है। नेशनल डिमेंशिया हेल्पलाइन से **1800 100 500** पर संपर्क करें, या हमारी वेबसाइट **fightdementia.org.au** देखें

Interpreter

भाषाई सहायता के लिए अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा को **131 450** पर फोन करें

यह प्रकाशन शामिल विषय वस्तु का केवल सामान्य सारांश ही प्रदान करता है। लोगों को अपने विशिष्ट मामले के संबंध में व्यावसायिक सलाह लेनी चाहिए। Alzheimer's Australia इस प्रकाशन में किसी त्रुटि या छूट के लिए जिम्मेदार नहीं है।

translation standards

© Alzheimer's Australia 1999
2017 में समीक्षा की गई

EARLY PLANNING

This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Dementia affects people differently. One person may begin to lose the ability to handle money or make competent business decisions at an early stage, while another person may keep these skills much longer.

However, sooner or later their abilities will decline and the person with dementia will be unable to make their own decisions about their financial and legal matters.

Planning ahead

Planning ahead can make it easier for families and carers to manage the affairs of a person with dementia. It may also mean that the person with dementia can participate in the planning and make sure that their wishes are carried out in the way that they would like.

Wherever possible, get advice while the person with dementia can still participate in the discussion and is legally competent to sign any documents.

Money matters

If a bank account is in joint names, the partner of the person with dementia can continue to operate it without any change in arrangements. However problems can occur if the person with dementia uses the account inappropriately or has accounts in their name only. To avoid these difficulties the person with dementia can give authority, while legally competent, for another person to operate the account. It is important to remember that this authority will be invalid if completed when the person is no longer legally competent. If they are unwilling to agree to a change of arrangement it may be helpful to consult the bank manager about a possible solution.

Planning ahead means:

- Having joint signatures on all financial accounts
- Discussing future financial affairs with a financial adviser
- Arranging how and when the person with dementia will access their finances

Who can help?

- Bank manager
- Accredited financial adviser
- Solicitor
- Alzheimer's Australia

Enduring Power of Attorney

In most States and Territories a person can sign a document called an enduring power of attorney if they are legally competent at the time of signing. An enduring power of attorney is a legal arrangement that enables a nominated person to look after the financial affairs of another person should they become unable to do so. Many people have enduring powers of attorney regardless of any illness or diagnosis.

An ordinary, or general, power of attorney is also available but is only valid while a person is legally competent. An enduring power of attorney continues until the person's death, unless revoked.

One of the benefits of having an enduring power of attorney is that it allows the person with dementia to choose someone to act on their behalf in legal and financial matters when they are no longer able to do so themselves.

Planning ahead means:

- Ensuring that the person with dementia has the opportunity to consider making an enduring power of attorney if they don't already have one, as soon as possible after diagnosis and whilst they have the capacity to do so
- Ensuring that family and carers also have their own enduring powers of attorney to ensure that their affairs are well managed in case they also become incapable
- Having a copy of the enduring power of attorney, and knowing where it is kept

This help sheet is funded by the Australian Government

Who can help?

- Solicitor
- The Law Society or Institute, or Legal Aid
- The Public Advocate or Public Guardian
- Alzheimer's Australia

Wills

A will gives instructions as to how the estate of a deceased person should be distributed.

A will is only legal if the person understands its implications, so it is essential that if the person with dementia wishes to make, or update their will, they do so while they are still competent to sign.

Planning ahead means:

- Having an up-to-date will
- Knowing who the executor is, and where the will is kept

Who can help?

- Solicitor
- The Law Society or Institute, or Legal Aid
- Alzheimer's Australia

Decisions about medical treatment

If a person with dementia loses the legal capacity to make decisions about their medical treatment, someone else needs to make those decisions for them. In most States and Territories a trusted relative or friend can be appointed to make these decisions. If this has not been put in place, the law in every State and Territory allows a particular court to appoint someone to make decisions on behalf of the person with dementia.

Two types of tools are available to help plan ahead for decisions about medical treatment:

- An enduring power of attorney covering health matters. This allows the person with dementia to appoint a person to be a substitute decision-maker for medical decisions
- An advance directive. This is a written document expressing the wishes of the person with dementia about medical treatment

Different names may be used in some States and Territories, but the function of the document is much the same.

Planning ahead means:

- Ensuring the person with dementia has the opportunity to make an enduring power of attorney covering health matters or an advance directive
- Having a copy of the document, and knowing where it is kept

Who can help?

- Solicitor
- The Law Society or Institute, or Legal Aid
- The Public Advocate or Public Guardian
- Alzheimer's Australia

Guardianship and Administration

In most States and Territories there is a Guardianship Board or Tribunal that can appoint a guardian or administrator for a person who is no longer able to make decisions for themselves. If there are problems dealing with the affairs of the person with dementia, or there is conflict about the person's best interests, an application for the appointment of a guardian or administrator may need to be considered.

Alzheimer's Australia can be contacted to discuss whether an application to appoint a guardian or administrator may be needed, and how to go about it.

FURTHER INFORMATION

Alzheimer's Australia offers support, information, education and counselling. Contact the National Dementia Helpline on **1800 100 500**, or visit our website at **fightdementia.org.au**

Interpreter

For language assistance phone the Translating and Interpreting Service on **131 450**

This publication provides a general summary only of the subject matter covered. People should seek professional advice about their specific case. Alzheimer's Australia is not liable for any error or omission in this publication.

© Alzheimer's Australia 1999
Reviewed 2017